

तकनीकी शिक्षा संचालनालय, मध्यप्रदेश
सतपुड़ा भवन, भोपाल- 462 004

क्रमांक:3/स्था/जी/2010/ 733
प्रति,

/भोपाल, दिनांक 5/6/2010


प्राचार्य,
समस्त स्वशासी इंजीनियरिंग महाविद्यालय,
समस्त स्वशासी पोलिटेकनिक महाविद्यालय,
एवं स्वशासी महिला पोलिटेकनिक महाविद्यालय
(म.प्र.) ।

विषय:- स्वशासी के अंतर्गत नियुक्त कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता एवं अन्य भत्ते दिये जाने के संबंध में ।

—00—

स्वशासी के अंतर्गत नियुक्त कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता दिये जाने के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ इन्दौर के आदेश क्रमांक डब्ल्यू.पी.(एस) नं. 5506/2009 दिनांक 31.8.2009 के परिपालन में संचालनालय स्तर पर समिति का गठन किया गया था । समिति द्वारा सोसायटी के अधीन कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को शासकीय कर्मचारियों की तरह मकान किराया भत्ता, संस्था की बी.ओ.जी. का अनुमोदन प्राप्त होने के उपरांत दिये जाने की अनुशंसा की है ।

अतः स्वशासी के अंतर्गत नियुक्त अधिकारियों/ कर्मचारियों को संस्था की बी.ओ.जी. का अनुमोदन प्राप्त होने के उपरांत ही मकान किराया भत्ता स्वीकृत करने की कार्यवाही करें ।


संचालक तकनीकी शिक्षा
मध्यप्रदेश
5/6/10